

<p>तारीख हुक्म</p>	<p>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज</p>	<p>नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म के में</p>
<p>29-11-17</p>	<p>वकुलायत उपो। पत्रावली वास्ते अहम दिनांक 13/11/17 को पेश हो। अति जिला कलेक्टर, पाली</p>	
<p>13/11/17</p>	<p>वकुलायत उपो। उभय पक्ष वदस हेतु आवसर चाहे है जो पूर्व में पेशित आवसर दिये जा चुके है। अतः न्यायक्षेत्र में अन्तिम आवसर दिया जाता है। पत्रावली 13/11/2018 को पेश हो। अति जिला कलेक्टर, पाली</p>	
<p>10/11/2018</p>	<p>वकुलायत उपो। वदस सुनी गई। पत्रावली वास्ते निर्णय दिनांक 02/02/2018 को पेश हो। अति जिला कलेक्टर, पाली</p>	
<p>02.02.2018</p>	<p>पक्षकारान उपस्थित उभयपक्ष ने राजीनामा प्रस्तुत किया, जो शा0मि0 किया गया। पक्षकारान ने निवेदन किया कि दोनों की पक्षों के बीच आपसी समझाईश से राजीनामा हो चुका है तथा अप्रार्थी के नाम जो पट्टा जारी हुआ है, वह सिवायचक भूमि, जो बाद में प्रार्थीया को आवंटन/नियमन हुई, पर जारी होने के कारण पट्टा निरस्त कराने हेतु सहमत है। अतः पट्टा अपास्त किया जाता है, तो किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होना जाहिर किया। उभयपक्ष को सुना गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। उभयपक्ष की सहमति के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत लाटाडा बिना किसी मिसल एवं प्रस्ताव के अप्रार्थी संख्या 3 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 89 दिनांक 05.11.1986 को अपास्त किया जाता है। निर्णय की प्रति ग्राम पंचायत को वास्ते सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवाई जावे। बाद पालना पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो। अति. जिला कलेक्टर, पाली</p>	<p>अति. जिला कलेक्टर, पाली</p> <p>अति. जिला कलेक्टर, पाली</p>